



केंद्रीय गृहमंत्री
अमित शाह बोले
साजिश के
तहत हो रहा
जनसांख्यिकीय
परिवर्तन - 3



अमेरिकी शुल्क से
पहले थीयर बाजार
धड़ाग, चौटरफा
बिकवाली से
सेंसेक्स 81000 के
नीचे आया - 12



एसीआई घोषणापत्र
में आतंकवाद
की निंदा की
कोशिशों में जुटा
भारत
- 13



चोट के बाद
नैदान पर
वापसी के
लिए तैयार
सूर्योगमा
- 14



आज का मौसम
31.9°
अधिकतम तापमान
25.4°
नव्यूनतम तापमान
सूर्योदय 05.44
सूर्योस्त 06.32

भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी 03:44 उपरांत पंचमी विक्रम संवत् 2082

अमृत विचार

| लखनऊ |

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार



2 राज्य | 6 संस्करण

■ लखनऊ ■ बैदी ■ कानपुर
■ गुरुदाबाद ■ अयोध्या ■ हल्द्वानी

■ मूल्य 6 रुपये

बुधवार, 27 अगस्त 2025, वर्ष 35, अंक 209, पृष्ठ 14

बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही वैष्णो देवी में 9 और डोडा में 4 की मौत

जम्मू में प्रकृति का कहर, स्थगित की गई वैष्णो देवी यात्रा, बचाव कार्य तेज

जम्मू/दीनगर, एजेंसी

जम्मू क्षेत्र में मंगलवार को भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने से पानी के बीच से रास्ते में आने वाली हर चीज तहस-नहस हो गई और चट्टान, पेड़ और पथर ढलनों से निचे गिर पड़े। जम्मू क्षेत्र में 13 लोगों की मौत हो गई जिनमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से हुई जबकि 4 डोडा जिले में हुई। जागतार भारी बारिश ने न केवल जम्मू में तबाही मचाई, जहां अचानक बाढ़ और भूस्खलन के मन्दरावर वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई, बल्कि कश्मीर घाटी में भी।

बारिश से बुनियादी ढांचे को भारी तुकसान पहुंचा, पुल ढह गए, मोबाइल टावर और बिजली के खंभे टूट गए। केंद्र शासित प्रदेश के बड़े हिस्से में दूरसंचार सेवाएं ठप हो गईं, जिसमें लाखों लोगों का संचार संपर्क टूट गया। जम्मू श्रीनगर और किश्तवाड़-डॉडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रायात निलंबित कर दिया गया। रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों पर रित्य वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर

रित्य वैष्णो देवी मंदिर जाने के दो रास्ते पर

- मनवे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका और बढ़ सकती है भूरकों की संख्या
- भूस्खलन के बाद मनवे में दबे लोगों को निकालने और मदद पहुंचाने के कार्य में जुटे सेना के जवान



वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर बचाव कार्य में जुटे सेना के जवान।



जम्मू के भगवती नगर में वैयंग तीरी पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से फंसे वाहन।

प्रदेश में कार्य करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी : योगी

मुख्यमंत्री का एलान, नियोक्ता कंपनियों के अतिरिक्त चार्जेंज वहन करेंगी सरकार

रोजगार महाकुंभ

- नौकरी देने के साथ नई टेक्नोलॉजी की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग और कॉर्स भी तय होंगे



लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में एक युवा को नियुक्ति प्रदान किया गया।

राज्य व्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियोक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियों को नियमित वेतन की गारंटी देने के लिए अतिरिक्त चार्जेंज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्पादनकारी रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी।

वे मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार महाकुंभ में एक युवा को नियुक्ति प्रदान किया गया। इनका बोलने वाले अधिकारी द्वारा नियमित वेतन की गारंटी देने के लिए अतिरिक्त चार्जेंज की जिम्मेदारी देने के लिए अतिरिक्त चार्जेंज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्पादनकारी रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी।

वे मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय 'रोजगार-महाकुंभ 2025' का उद्घाटन करने के बाद भारी संस्थाएं नौकरी के लिए आए युवाओं को संवेदित भर्ती देंगे। उन्होंने एक युवा को उसकी संवेदित भर्ती देंगे। उन्होंने एक युवा को उसकी भर्ती के अनुसार काम मिलना चाहा है और उन्होंने एक युवा को उसकी भर्ती के अनुसार काम मिलना चाहा है। जहां अवसर मिला, वहां इन्होंने एक युवाओं ने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य की कूल कीमत 1,77,84,000 रुपये आई है। इस मामले में दो संस्थाएं ने गिरफ्तार किया गया।

1.77 करोड़ की शराब जब्त, दो गिरफ्तार

कोलहापुर में शराब और गिरफ्तार की भर्ती

माओवादी को बीमार पिता से मिलने को बेल

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने एलागर परिषद्-माओवादी संघ मामले के आरोपी रेपोर्ट गाइडर को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए तीन दिन की अतिरिक्त जमानत दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह पिछले पांच वर्षों में अपने बीमार पिता से मिलने नहीं जा सकता। न्यायालय एस. गडकी और न्यायालय राजेश पाटिल की पीट ने 25,000 रुपये की नकद जमानत राखा। जमानत के बाद गाइडर को तीन दिन के लिए जेल से रिहा करने का अदेश दिया गया है। अपीलेजन क्षेत्र विधिवित्त भारतीय काय्यानिटर पार्टी (माओवादी) समूह का सदर्या था। इसने 31 दिसंबर, 2017 को एलागर परिषद् समेलन में भड़काऊ भाषण देने पर गाइडर और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।

माओवादी को बीमार पिता से मिलने को बेल

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने एलागर परिषद्-माओवादी संघ मामले के आरोपी रेपोर्ट गाइडर को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए तीन दिन की अतिरिक्त जमानत दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह पिछले पांच वर्षों में अपने बीमार पिता से मिलने नहीं जा सकता। न्यायालय एस. गडकी और न्यायालय राजेश पाटिल की पीट ने 25,000 रुपये की नकद जमानत राखा। जमानत के बाद गाइडर को तीन दिन के लिए जेल से रिहा करने का अदेश दिया गया है। अपीलेजन क्षेत्र विधिवित्त भारतीय काय्यानिटर पार्टी (माओवादी) समूह का सदर्या था। इसने 31 दिसंबर, 2017 को एलागर परिषद् समेलन में भड़काऊ भाषण देने पर गाइडर और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।

माओवादी को बीमार पिता से मिलने को बेल

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने एलागर परिषद्-माओवादी संघ मामले के आरोपी रेपोर्ट गाइडर को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए तीन दिन की अतिरिक्त जमानत दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह पिछले पांच वर्षों में अपने बीमार पिता से मिलने नहीं जा सकता। न्यायालय एस. गडकी और न्यायालय राजेश पाटिल की पीट ने 25,000 रुपये की नकद जमानत राखा। जमानत के बाद गाइडर को तीन दिन के लिए जेल से रिहा करने का अदेश दिया गया है। अपीलेजन क्षेत्र विधिवित्त भारतीय काय्यानिटर पार्टी (माओवादी) समूह का सदर्या था। इसने 31 दिसंबर, 2017 को एलागर परिषद् समेलन में भड़काऊ भाषण देने पर गाइडर और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।

माओवादी को बीमार पिता से मिलने को बेल

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने एलागर परिषद्-माओवादी संघ मामले के आरोपी रेपोर्ट गाइडर को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए तीन दिन की अतिरिक्त जमानत दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह पिछले पांच वर्षों में अपने बीमार पिता से मिलने नहीं जा सकता। न्यायालय एस. गडकी और न्यायालय राजेश पाटिल की पीट ने 25,000 रुपये की नकद जमानत राखा। जमानत के बाद गाइडर को तीन दिन के लिए जेल से रिहा करने का अदेश दिया गया है। अपीलेजन क्षेत्र विधिवित्त भारतीय काय्यानिटर पार्टी (माओवादी) समूह का सदर्या था। इसने 31 दिसंबर, 2017 को एलागर परिषद् समेलन में भड़काऊ भाषण देने पर गाइडर और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।

माओवादी को बीमार पिता से मिलने को बेल

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायाल

नेशनल ब्रीफ

सैन्य अधिकारी पर पांच साल का उड़ान प्रतिबंध मुंबई। स्पाइसजेट ने उस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पर पांच साल का उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने जुलाई में श्रीनगर हवाई झुंड पर उसके कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारी थी। सौंदर्य एक चौंकाने की गयी जानकारी दी। प्लाईस ने 26 जुलाई को श्रीनगर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के बारे कर्मचारियों पर कथित तौर पर हमला करने और उन्हें धारण करने के आरोप में सैन्य अधिकारी पर खिलाफ दाखिल किया था। इस घटनाक्रम से जुड़े सभी मामलाओं का बताया कि अधिकारी को पांच साल की अवधि के लिए 'नो-फ्लाई' सूची में डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान अधिकारी को एक राजनीतिक व्यक्ति की गयी और अनुसूचित उड़ान में सवार होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पेपर लीक मास्टरमाइंड की अचानक हुई मौत

जयपुर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) भर्ती परीक्षा-2013 पेपर लीक प्रकार के कठिन मास्टरमाइंड की सीधगढ़ी परीक्षायों में मौत हो गई है। प्लाईस ने मामलावाला को बताया कि आरपीएम अमृत लाल मामली की वाराणसी से जयपुर लाए जाने के दौरान मौत हो गई। राजस्थान पुलिस ने जुलाई 2014 में अमृत लाल (55) को अन्य आरपीयों के साथ गिरफतार किया था। कोरीली जिले के नानौरी नामी वीर बताया कि मीणा को परीक्षायों के प्रियाकार के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के सदस्य वहाँ गए और अप्रत्यक्ष उस परीक्षायों को उत्तरीता से जयपुर ले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में आगरा के पास उसकी मृत्यु हो गई।

चंडीगढ़ में सेना के पूर्व अधिकारी से लूट

चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रविवार दोपहर मनीषाज्ञा की बैंक कांडोनी में 75 वर्षीय पूर्व सेना अधिकारी धर्मपाल से चाकू की नोक पर 5,000 रुपये की तूटी की समसीखेज घटना समाप्त थी। आरोपी ने धमपाल के नानौरी छोड़ दिया और फारह हो गया। धर्मपाल ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लैकिन वह भाग निकाला। धर्मपाल के त्रुट तरुण ने बताया कि वे अपने पिता से पांच के पास मिले थे और उन्हें 5,000 रुपये दिये थे। आरोपी ने यह देखा और पीछा करते हुए तूट की ओंकारा दिया। परिजनों ने मनीषाज्ञा जारी में शिकायत दर्ज की, लैकिन पुलिस ने अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

ईडी का बीपीटीपी के खिलाफ छापा

नई दिल्ली। प्रत्यंत निवेशालय (ईडी) ने करीब 500 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा विनियम उल्लंघन मामले में अनी जांच के तहत दिल्ली-एसीसीआर में रियल एस्टेट कंपनी बीपीटीपी से संबंधित परिसरों पर मामलावाला को छापे मारे। 'बिसास पार्कस टाउन लार्सन प्राइवेट लिमिटेड' (बीपीटीपी) के दिल्ली, नोएडा और करीदारावाल में आरोपी पर फैसला के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए।

प्राप्ति की दूसरों पर भैंस चुराने का आरोप लगाया, खुद वोट चुरा लिए: प्रियंका सुपौल/मध्यबांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी मंगलवार के गहल गांधी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुई और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल पर 'भैंस चुराने' का आरोप लगाया था। अगले महीने अवधि उन्होंने तो वोट ही चुरा लिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में 'वोट चोरी' की साजिश रच रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र ने यह भी कहा कि गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। प्रियंका सुपौल से यात्रा में शामिल हुई।

धर्म कोई भी हो, सभी भारतीयों का 40,000 वर्षों से एक डीएनए

विदेशी राजनयिकों और नामी हारितियों की मौजूदगी नें संघ प्रमुख बोले

नई दिल्ली, एजेंसी

सुरक्षित रखे गए फैसलों को सुनाने में देरी चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसला सुनाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी। नई दिल्ली, एजेंसी



सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को अपने मुख्य न्यायाधीशों को उन फैसलों के बारे में बोर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिन्होंने तीन महीने तक सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सुनाया नहीं गया है। न्यायमूर्ति संघर करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2021 में एक आपराधिक अपील की सुनवाई रुकी कर लेने के बावजूद उस पर फैसला सुनाने में विफल रहने पर चिंता व्यक्त की।

पीठ ने कहा, यह बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि अपील की सुनवाई की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। इस अदालत को बार-बार ऐसे ही मामलों का सामना करना पड़ता है। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। इस अदालत को बार-बार ऐसे ही मामलों का सामना करना पड़ता है। उच्च कोर्ट ने बोर्ड उपलब्ध कराने की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव वार्तावाही की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। जिनमें सूचना सम्बन्धी व्यापारी का वार्तावाही तीन महीने से ज्यादा समय तक बाबत रही है, तीन मामलों में छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक जहाँ मामले की सुनवाई के बाबत भी फैसला नहीं सुनाया जाता।

आदेश लिखने वाले न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में ऐप्रोलीव व

